भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1545

11 फरवरी, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के लाभ

1545. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

श्री हेमन्त पाटिलः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकरः

डा. सुजय विखे पाटीलः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या छोटे और सीमांत किसान आधुनिक कृषि-प्रौद्योगिकी और विभिन्न विशेष योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों/भागों/क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें लाभ नहीं मिल रहा है;

(ग) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जो पुरानी और अप्रयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि संस्थानों/विश्वविद्यालयों ने विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को प्रासंगिक जानकारी/ज्ञान प्रदान करने के लिए कृषि विस्तार योजनाओं के पुनरुद्धार में कोई भूमिका निभाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (खं) : कृषि राज्य का विषय है। भारत सरकार पूरे देश में कृषि को बढ़ावा देने एवं आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने के लिए छोटे एवं सीमांत किसानों को मदद करने के लिए कई केन्द्रीय प्रायोजित एवं केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता एवं सुविधाएं देती है। डीएसीएंडएफडब्ल्यू की सभी योजनाएं सभी क्षेत्रों एवं राज्यों में छोटे एवं सीमांत किसानों के लाभ के लिए है।

(ग) एवं (घ) : भारत सरकार अप्रचलित प्रौद्योगिकी को दूर करने एवं कृषि में नए प्रौद्योगिकी जैसे एचवाईवी बीज, कृषि यंत्रीकरण, सूक्ष्म सिंचाई आदि को लागू करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

(ङ) एवं (च) : भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद ने छोटे एवं सीमांत किसानों सहित किसानों को सूचना/प्रौद्योगिकी का उचित प्रचार-प्रसार के लिए अपने अनुप्रयोग एवं क्षमता विकास हेतु प्रौद्योगिकी आकलन एवं प्रदर्शन के अधिदेश के साथ देश में 717 कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) का एक नेटवर्क स्थापित किया है। अधिदेशित कार्यकलापों को आयोजित करने के अलावा, केवीके के विषय से संबंधित विशेषज्ञ एम-किसान पोर्टल के माध्यम से किसानों को कृषि से संबंधित कई परामर्शिकाएं देते हैं।

केवीके छोटे एवं सीमांत किसानों सहित किसानों को प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार के लिए जिला लाईन विभाग के माध्यम से कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों और कार्यकलपों के लिए प्रौद्योगिकिय बैकस्टॉपिंग भी प्रदान कर रहा है।